प्रेस नोट दिनांक 08.07.2026

थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ़ पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप सरोज को थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साण्डाहर्षपुर स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह का0बृजभान चौहान, का0 संगमलाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/351 (3) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त कुलदीप सरोज पुत्र लल्लन सरोज निवासी साण्डाहर्षपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साण्डाहर्षपुर स्थित उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. कुलदीप सरोज पुत्र लल्लन सरोज निवासी साण्डाहर्षपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मुन्ना सिंह यादव मय हमराह का0बृजभान चौहान, का0 संगमलाल थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना लीलापुर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, मारपीट व जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त इमरान को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत खरगपुर मोड के पास से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम पियारे का पुरवाँ सराय लोहंगराय थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। दिनांक 20.06.2026 को वादी अपने भाई नसीम के साथ कार से घर जा रहा था। प्रधान ढाबा के पास मुख्य हाईवे पर एक क्षतिग्रस्त वाहन खड़ा था, वादी द्वारा सहायता हेतु रुकने पर सामने से एक अन्य वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा विवाद शुरू कर दिया गया तथा गाली-गलौज व मारपीट की गई। आरोपी द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ मौके पर आ गए और पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से आरोपी द्वारा तमंचे से फायर किया गया, वादी के सिर पर वार कर चोट पहुंचाई गई तथा सभी ने मिलकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109(1)/3 (5)/115(2) 1352/351 (3) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह रि0का0 राजीव मौर्या, रि0म0का0 माया कुमारी, चालक का0 सुजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 109 (1)/3 (5)/115(2) 1352/351 (3) बी0एन0एस0 थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त इमरान पुत्र फरीद निवासी ग्राम खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत खरगपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. इमरान पुत्र फरीद निवासी ग्राम खरगपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
व0उ0नि0 अंकुर कैथवास मय उ0नि0 सौरभ यादव मय हमराह रि0का0 राजीव मौर्या, रि0म0का0 माया कुमारी, चालक का0 सुजीत यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस की बड़ी सफलता: हत्या के मामले में ₹25,000 का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उमरौडा स्थित अन्त्येष्टि स्थल के पास पुलिया के निकट से थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या के मामलेमें ₹25,000/- के ईनामिया 01 अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया-

घटना का विवरण:-
दिनांक 29.06.2026 को थाना जेठवारा क्षेत्र के ग्राम पूरेचन्दन खटवारा में वादी अनिल सिंह पुत्र अनिरुद्ध प्रताप सिंह निवासी ग्राम पूरेचन्दन खटवारा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपीगण पिन्टू वर्मा, जीतेन्द्र वर्मा उर्फ जीतू, अरुण वर्मा, तेज बहादुर वर्मा तथा तीन अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत उनके भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 202/26 धारा 3(5)/61 (2)/103 (1)/191(3)/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 सर्वेश चौरसिया, रि0का0 गौरव चौहन मय चालक हे0का0 अशोक सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 202/2026, धारा 3(5), 61(2), 103(1), 191(3), 351(3) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त जितेन्द्र वर्मा पुत्र ललई वर्मा उम्र करीब 33 वर्ष नि0 चन्दन का पुरवा मौजा खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम उमरौडा स्थित अन्त्येष्टि स्थल के पास पुलिया के निकट से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. जितेन्द्र वर्मा पुत्र ललई वर्मा उम्र करीब 33 वर्ष नि0 चन्दन का पुरवा मौजा खटवारा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम का विवरण-
प्रभारी निरीक्षक जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 सर्वेश चौरसिया, रि0का0 गौरव चौहन मय चालक हे0का0 अशोक सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी क्षेत्र में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, एक अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में, थाना पट्टी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर खागल में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर अभियुक्त मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम रामपुर खागल, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा पीतल एवं स्टील के बर्तन, साइकिल, स्टील की टंकी, आलमारी में रखे सोने-चाँदी के आभूषण,

खाद्यान्न एवं गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 106/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अरविन्द यादव, रि0का0 हरिशंकर गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 106/2026 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मनीष शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा उम्र 23 वर्ष नि0 रामपुर खागल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पृथ्वीगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रामपुर खागल में अपने चाचा के घर में मैंने अंकुश पुत्र जोखन लाल निवासी ग्राम रामपुर खागल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ के साथ मिल कर कई दिनो में चोरी किया था। घर से घरेलु सामान अनाज व साइकिल व कुछ गहने भी चोरी किया था। आनाज व वर्तन व सिलेन्डर को फेरी वाले को बेच दिया और हम दोनो मिल कर दारु की पार्टी कर लिये। फेरी वाले कौन थे मैं नही जानता हूं। कुछ चांदी के व कुछ सोने के गहने थे जिन्हे सूरत ले कर गया था। वहीं बेच दिया हूं। साइकिल पृथ्वीगंज बाजार में एक साइकिल वाले के दुकान पर बेच दिया है। जिसे मै अभी भी बरामद करा सकता हूँ। अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद साइकिल बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मनीष शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा उम्र 23 वर्ष नि0 रामपुर खागल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अनीश कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अरविन्द यादव, रि0का0 हरिशंकर गुप्ता थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पर पंजीकृत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त शुभम वर्मा को थाना लीलापुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत सण्डवा सोमवंशियान उसके घर के पास रोड से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शहंशाह कान मय हमराह रि0का0 पुणेन्द्र प्रताप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2) 187/64 BNS व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त शुभम वर्मा पुत्र फूलचन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम सण्डवा सोमवंशियान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ को थाना क्षेत्रान्तर्गत सण्डवा सोमवंशियान उसके घर के पास रोड से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. शुभम वर्मा पुत्र फूलचन्द्र उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम सण्डवा सोमवंशियान थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 शहंशाह कान मय हमराह रि0का0 पुणेन्द्र प्रताप यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0 174/2006 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अरशद उर्फ टेनी पुत्र अब्दुल जलील निवासी मदीना मस्जिद के सामने कटरा मेदनीगंज थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह का0 किशन यादव, रि0का0 अजीत कुमार उपाध्याय द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-13 द्वारा मु0नं0 770/12, मु0अ0सं0 104/04 धारा 279,304ए भादवि से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त ज्ञानेन्द्र प्रताप पटेल उर्फ मुन्नु पुत्र श्रीनाथ पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी डगैता थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को डगैता में श्री साई ट्रेडर्स की नाम की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. अरशद उर्फ टेनी पुत्र अब्दुल जलील निवासी मदीना मस्जिद के सामने कटरा मेदनीगंज थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ।
2. ज्ञानेन्द्र प्रताप पटेल उर्फ मुन्नु पुत्र श्रीनाथ पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी डगैता थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -
उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव,
उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह का0 किशन यादव, रि0का0 अजीत कुमार उपाध्याय थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पर पंजीकृत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक झा को थाना जेठवारा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत खुईलन धाम मन्दिर नेवाडी के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रविन्द्र प्रताप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का० शैलेष चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/351 (4)/64 (1) बीएनएस व 3/ 4 पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त अभिषेक झा पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम गिदवाहा थाना मडावरा जनपद ललितपुर को थाना क्षेत्रान्तर्गत खुईलन धाम मन्दिर नेवाडी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभिषेक झा पुत्र रामकिशन उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम गिदवाहा थाना मडावरा जनपद ललितपुर ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 लक्ष्मीकान्त शर्मा मय हमराह का० शैलेष चौहान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़